न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 31/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00078

अनवान

1. श्री दिनेश कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु 48 वर्ष.. निवासी खरताणा, हाल वार्ड नम्बर 12, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री अरविन्द कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी B–3/A, नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, सेलीब्रेशन गार्डन के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी 21, नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, सेलीब्रेशन गार्डन के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती उषाकुमारी पत्नी अभयकुमार जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री सज्जनलाल पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री महेन्द्र कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री ललित कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. झूमरदेवी पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. मन्जुला पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पुष्पा पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

11. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़
12. पटवारी, पटवार हल्का फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 9

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.10.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर, पटवार क्षेत्र फतहनगर, तहसील मावली की आराजी नम्बर 625/26 रकबा 4 बीघा उक्त कृषि आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 45382/69696 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1454/69696 हिस्सानुसार दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम पर हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 625/26 के पुराने आराजी नम्बर 26 थे और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित हिस्सा पूर्व में खातेदार श्री प्रकाशमल पिता रोशनलाल जी चतुर एवं श्रीमती सूरज कुमारी पत्नी प्रकाशमल जी चतुर अर्थात प्रतिवादी सं. 1, 2 के माता पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के सास–ससुर के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के माता–पिता/सास–ससुर ने अपनी उपरोक्त आराजी नम्बर 26 में से एक भुखण्ड पूर्व पश्चिम 45 फीट उत्तर दक्षिण 60 फीट चौड़ा लम्बा कुल 2700 वर्गफीट का जिसके पड़ौस पूर्व में चेतनप्रकाश जी खाब्या को विक्रीत प्लोट, पश्चिम में बजरंगलाल जी अग्रवाल को विक्रय प्लोट, उत्तर में आम रोड़ उदयपुर चित्तौड़, दक्षिण में विक्रेतागण की स्वयं की जमीन। उक्त नाप व पड़ौसान मध्य स्थित 2700 वर्गफीट भुखण्ड को 50,000/– पचास हजार रूपया के विक्रय प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 30.01.1995 को मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के पिता श्री रोशनलाल पिता चुन्नीलाल जी दुग्गड़ (महाजन) को विक्रय कर मौके पर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से हमारे पिता श्री रोशनलाल जी अपने क्रय सुदा भुखण्ड पर अपने जीवनकाल में शान्तिपूर्वक काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 18:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग करते आ रहे थे तथा हमारे पिता के निधनोपरान्त मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 अपने पिता के क्रयसुदा भुखण्ड जो हमको विरासत में प्राप्त हुआ है उस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है।

2. यह कि मुझ वादी के पिता श्री रोशनलाल जी द्वारा उपरोक्त भुखण्ड खरीदने के पश्चात् उक्त भुखण्ड को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की जानकारी नही होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए हमारे पिता उपरोक्त अपने क्रयसुदा भुखण्ड को अपने नाम पर अंकित करवा सके और विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के माता पिता/सास ससुर के नाम पर ही उपरोक्त भुखण्ड राजस्व रेकर्ड में अंकित रहा और विक्रेतागण श्री प्रकाशमलजी एवं श्रीमती सूरजकुमारी के देहावसान के पश्चात् उनके नाम की कुलिया भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर विरासत से दर्ज कर दी गई और कालान्तर में रोटेशन से बनने वाले राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा आराजी नम्बर 26 के नये आराजी नम्बर 625/26 बनाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अंकित चल रहे है।

3. यह कि विक्रेतागण द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी उक्त भूमि में से प्लोट बेचे गये थे जो क्रेतागण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जा चुके है। लेकिन हमारे पिता को इस कानुनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से वह अपने क्रयसुदा भुखण्ड को अपने नाम पर अंकित नहीं करा पाये तथा हमारे पिता के देहावसान के पश्चात् हम परिवारजनो को उक्त भुखण्ड को अपने नाम पर करवाने की जानकारी होने पर मुझ वादी ने श्रीमान् तहसीलदार सा. मावली के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये नामान्तरकरण की कार्यवाही कराने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् तहसीलदार सा. मावली द्वारा प्रकरण की जांच करने के पश्चात् अपने पत्र क्रमांक भू.अ./19/794 दिनांक 24.05.2019 के जरिये मुझ वादी को सूचित किया कि ''पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज क्रेता–विक्रेता फौत होने व क्रय की गई भूमि में विक्रेतागण का खाते में नाम दर्ज नहीं होने से भूमि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त की जा सकती है।'' इस प्रकार विक्रेतागण के नाम आराजी नम्बर 26 अंकित थे लेकिन रोटेशन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

नये आराजी नम्बर 625/26 बनने एवं विक्रेतागण के बजाय उनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में से हमारे पिता द्वारा खरीदे गये उक्त भूखण्ड को मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 के नाम पर खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकार्ड अपने नाम पर संयुक्त रूप से अंकित कराने के अधिकारी है और यह वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

4. यह कि वर्तमान में हमारे पिता द्वारा क्रय किया गया भूखण्ड प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज है जिससे हमको भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और भविष्य में पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी नहीं बढें और कानूनी पैचीदगीयां नहीं बढें इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 को उनके नाम अंकित हमारे पिता द्वारा खरीदे गये भुखण्ड को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा क्षति नहीं होगी।

5. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 9 के पिता श्री रोशनलाल जी दुग्गड ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 के माता पिता/सास ससुर क्रमशः प्रकाशमल जी एवं श्रीमती सुरजकुमारी को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया है तथा खरीद की दिनांक से हमारे पिता एवं हमारे पिता के देहावसान के बाद मैं वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 9 निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। लेकिन नामान्तरकरण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने की वजह से उक्त भूखण्ड हमारे पिता अपने नाम पर अंकित नहीं करवा सके और विक्रेतागण के नाम पर ही अंकित रह गयी और विक्रेतागण के देहान्त पश्चात् विरासत से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम पर दर्ज हुई। इसलिए सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में ही हैं।

6. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 24.05.2019 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी द्वारा श्रीमान् तहसीलदार सा. मावली के समक्ष नामान्तरकरण करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त करने हेतु मुझ वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purradia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

को अपने पत्र के जरिये सूचित किया गया तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से क्रेता श्री रोशनलाल पिता चुन्नीलाल दुग्गड (महाजन) द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 30.01.1995 को खरीद सुदा भुखण्ड का मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 को बराबर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। मुझ वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपने नाम अंकित हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किस्म परिवर्तन नहीं करें, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादी के नाम अंकित आराजी नम्बर 625/26 के पुराने नम्बर 26 थे या नहीं ? इसकी जानकारी हम प्रतिवादी को नहीं है तथा वादी ने आराजी नम्बर 26 पूर्व में हमारे पिता श्री प्रकाशमल पिता रोशनलाल जी चतुर एवं माता श्रीमती सूरज कुमारी पत्नी प्रकाशमल जी चतुर के नाम अंकित होने एवं उक्त आराजी में हमारे माता पिता से भूखण्ड खरीदने का कथन किया है उसकी जानकारी भी हम प्रतिवादी को नहीं होने से अस्वीकार हैं। वादी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावे और यदि वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्य में हमारे नाम अंकित भूमि में उसके पिता द्वारा भूखण्ड खरीदने की बात साबित करा देवे तो वादी को इसका खातेदार घोषित कर दिया जावे जिसमें हम प्रतिवादी को कोई आपत्ति अथवा ऐतराज नहीं होगा। हम प्रतिवादी वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है और कानूनन किसी भी खातेदार के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। उक्त भूमि हमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकार की है जिसका उपयोग उपभोग करने का हम प्रतिवादी को विधि अनुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और हमारी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने से रोकने का वादी अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से अधिकार नहीं रखता है। ऐसी अवस्था में वादी हम प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराने का अधिकारी नहीं हैं।

9. अन्त में निवेदन किया कि वादी की प्रार्थना है जो वादी माननीय न्यायालय से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करवाकर प्राप्त करे और यदि वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्य से हमारे नाम अंकित भूमि में उसके पिता द्वारा भूखण्ड खरीदने की बात साबित करा देवे तो वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 को उपरोक्तानुसार भूखण्ड का खातेदार घोषित कर दिया जावे जिसमें हम प्रतिवादी को कोई आपत्ति अथवा ऐतराज नहीं होगा।

10. प्रतिवादी सं. 4 से 9 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 625/26 रकबा 4 बीघा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 45382/69696 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम 1454/69696 हिस्सानुसार अंकित होने का तथ्य स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 625/26 के पुराने आराजी नम्बर 26 थे और वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम अंकित हिस्सा पूर्व में खातेदार श्री प्रकाशमल पिता रोशनलाल जी चतुर एवं श्रीमती सुरज कुमारी पत्नी प्रकाशमल जी चतुर अर्थात् प्रतिवादी सं. 1, 2 के माता पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 के सास–ससुर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी और प्रतिवादी सं. 1 से 3 के माता–पिता/सास–ससुर ने अपनी उपरोक्त आराजी नम्बर 26 में से एक भूखण्ड पूर्व पश्चिम 45 फीट * उत्तर दक्षिण 60 फीट चौडा लम्बा कुल 2700 वर्गफीट का जिसके पडोस पूर्व में चेतनप्रकाश जी खाब्या को विक्रीत प्लोट, पश्चिम में बजरंगलाल जी अग्रवाल को विक्रय प्लोट, उत्तर में आम रोड उदयपुर चित्तौड, दक्षिण में विक्रेतागण की स्वयं की जमीन। उक्त नाप व पडौसान मध्य स्थित 2700 वर्गफीट भूखण्ड को 50,000/– पचास हजार रूपया के विक्रय प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 30.01.1995 को वादी एवं हम प्रतिवादी सं. 4 से [illegible]ता श्री रोशनलाल पिता चुन्नीलाल जी दुग्गड महाजन को [illegible] कर मौके [illegible] भौतिक कब्जा सिपूर्द कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pindadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

तब से हमारे पिता श्री रोशनलाल जी अपने क्रय सुदा भूखण्ड पर अपने जीवनकाल में शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा हमारे पिता के निधनोपरान्त वादी एवं हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 अपने पिता के क्रयसुदा भूखण्ड जो हमको विरासत में प्राप्त हुआ है उस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं।

11. यह कि हमारे पिता श्री रोशनलाल जी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड खरीदने के पश्चात् उक्त भूखण्ड को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की जानकारी नहीं होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये हमारे पिता उपरोक्त अपने क्रयसुदा भूखण्ड को अपने नाम पर अंकित नहीं करवा सके और विक्रेतागण प्रतिवादी सं. 1 से 3 के माता पिता/सास ससुर के नाम पर ही उपरोक्त भूखण्ड राजस्व रेकार्ड में अंकित रहा और विक्रेतागण श्री प्रकाशमल जी एवं श्रीमती सूरजकुमारी के देहावसान के पश्चात् उनके नाम की कुलिया भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम पर विरासत से दर्ज कर दी गई और कालान्तर में रोटेशन से बनने वाले राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी नम्बर 26 के नये आराजी नम्बर 625/26 बनाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अंकित चल रहे हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में से हमारे पिता द्वारा खरीदे गये उक्त भूखण्ड को हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 एवं वादी के पिता द्वारा खरीदे गये उक्त भूखण्ड को हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 एवं वादी के नाम पर खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकार्ड अपने नाम पर संयुक्त रूप से अंकित कराने के अधिकारी है तथा इस हेतु हम प्रतिवादीगण ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

12. प्रतिवादी सं. 4 से 9 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे पिता श्री रोशनलाल जी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड खरीदने के पश्चात् उक्त भूखण्ड को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की जानकारी नहीं होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये हमारे पिता उपरोक्त अपने क्रयसुदा भूखण्ड को अपने नाम पर अंकित नहीं करवा सके और विक्रेतागण प्रतिवादी सं. 1 से 3 के माता पिता/सास ससुर के नाम पर ही उपरोक्त भूखण्ड राजस्व रेकार्ड में अंकित रहा और विक्रेतागण श्री प्रकाशमल जी एवं श्रीमती सूरजकुमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

के देहावसान के पश्चात् उनके नाम की कुलिया भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम पर विरासत से दर्ज कर दी गई और कालान्तर में रोटेशन से बनने वाले राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी नम्बर 26 के नये आराजी नम्बर 625/26 बनाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अंकित चल रहे हैं। वर्तमान में उक्त भूखण्ड हमारे नाम पर अंकित नहीं होने से हमको भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है इसलिए उक्त भूखण्ड का उचित ढंग से उपयोग उपभोग करने में भी काफी परेशानयों से झुंझना पड रहा है इसलिए वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में से हमारे पिता द्वारा खरीदे गये उक्त भूखण्ड को हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 हिस्सेनुसार अपने नाम खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकार्ड अपने नाम पर संयुक्त रूप से अंकित कराने के अधिकारी है और भविष्य में पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी नही बढे और कानूनी पैचीदगीया नहीं बढे इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्व उनके नाम अंकित हमारे पिता द्वारा खरीदे गये भूखण्ड को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा क्षति नहीं होगी। इसलिए यह काउन्टर क्लेम आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

13. यह कि हम प्रतिवादीगण का मजबूत प्राईमाफैसी केस है क्योंकि हमारे पिता श्री रोशनलाल जी दुग्गड ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 के माता पिता/सास ससुर क्रमशः प्रकामल जी एवं श्रीमती सुरजकुमारी को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया है तथा खरीद की दिनांक से हमारे पिता एवं हमारे पिता के देहावसान के बाद हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 व वादी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन नामान्तरकरण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने की वजह से उक्त भूखण्ड हमारे पिता अपने नाम पर अंकित करवा सके और विक्रेतागण के नाम पर ही अंकित रह गया और विक्रेतागण के देहान्त पश्चात् उनके नाम दर्ज भूमि विरासत से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम पर दर्ज हो गई। इसलिए सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी हमारे पक्ष में ही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

14. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 4 से 9 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर हमारे पक्ष में इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से क्रेता श्री रोशनलाल पिता चुन्नीलाल दुग्गड महाजन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 30.01.1995 को खरीदसुदा भूखण्ड का हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 को बराबर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम प्रतिवादी सं. 4 से 9 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपने नाम अंकित हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किस्म परिवर्तन नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

15. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री दिनेश कुमार पिता रोशनलाल दुग्गड महाजन स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश किया।

16. अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2072–75 की खाता सं. 63 प्रदर्श 1, रोशनलाल जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2ए, विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1995 असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए, स्वर्गीय रोशनलाल जैन का सजरा खानदान गोवर्धन सोनी पार्षद वार्ड न. 12 द्वारा प्रमाणित प्रदर्श 4, मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की नामान्तरकरण सं. 265 की नकल प्रदर्श 5 करवाये गये।

17. प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 श्री सज्जनलाल पिता रोशनलाल दुग्गड प्रतिवादी संख्या 4 का शपथ पत्र पेश किया।

18. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को एवं अधिवक्ता प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

सं. 4 से 9 द्वारा अपनी बहस में जवाब व प्रतिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 63 पर दर्ज आराजी नम्बर 625/26 रकबा 4 बीघा भूमि खातेदार अरविन्द कुमार, सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल चतुर के नाम 45382/69696 हिस्सा एवं उषा कुमारी पत्नी अभय कुमार चतुर के नाम 14514/69696 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मौरूस प्रकाशमल पिता रोशनलाल एवं श्रीमती सुरज कुमारी पत्नी प्रकाशमल चतुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1995 प्रदर्श 3ए से वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 के पिता रोशनलाल दुग्गड को 2700/69696 हिस्सा भूमि विक्रय की गई। जिसका नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं खोला गया, जिससे वादग्रस्त भूमि प्रकाशमल पिता रोशनलाल एवं श्रीमती सुरज कुमारी पत्नी प्रकाशमल चतुर की मृत्यु के पश्चात् विरासत से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई। जबकि वादग्रस्त भूमि का 2700/69696 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 के मौरूस रोशनलाल जी दुग्गड के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज होनी चाहिए थी। वर्तमान में क्रेता रोशनलाल जी फौत हो चुके है जिनके वारिस वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 होना जाहिर होता हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा भी वाद स्वीकार किये जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा फतहनगर, पटवार क्षेत्र फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 63 पर दर्ज आराजी नम्बर 625/26 रकबा 4 बीघा भूमि में खातेदार अरविन्द कुमार, सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल चतुर के नाम दर्ज हिस्सा 45382/69696, उषा कुमारी पत्नी अभय कुमार चतुर के नाम दर्ज हिस्सा 14514/69696 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 14:31:30 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1995 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 को संयुक्त रूप से 2700/69696 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दिनेश कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु 48 वर्ष.. निवासी खरताणा, हाल वार्ड नम्बर 12, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री अरविन्द कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी B–3/A, (नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, सेलीब्रेशन गार्डन के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी 21, नवलोक नवरत्न कॉम्पलेक्स, सेलीब्रेशन गार्डन के पास, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती उषाकुमारी पत्नी अभयकुमार जी चतुर, आयु वयस्क, निवासी L–1/10, जयश्री कॉलोनी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री सज्जनलाल पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री महेन्द्र कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री ललित कुमार पिता स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. झूमरदेवी पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. मन्जुला पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पुष्पा पुत्री स्व० श्री रोशनलाल जी दुग्गड़ (जैन), आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक मावली
12. पटवारी, पटवार हल्का फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 31/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00078

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा फतहनगर, पटवार क्षेत्र फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 की खाता संख्या 63 पर दर्ज आराजी नम्बर 625/26 रकबा 4 बीघा भूमि में खातेदार अरविन्द कुमार, सिद्धार्थ कुमार पिता प्रकाशमल चतुर के नाम दर्ज हिस्सा 45382/69696, उषा कुमारी पत्नी अभय कुमार चतुर के नाम दर्ज हिस्सा 14514/69696 में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1995 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 से 9 को संयुक्त रूप से 2700/69696 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.10.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.08 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested